बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं0 :– 3/अ०प्र०–01–263/2010 1540 /पटना, दिनांक :– 22.9.2020

श्री पुनेश्वर रजक तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढ़ाका सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कार्य प्रमंडल ढ़ाका अन्तर्गत चैता से शिवपुर कुंडल पथ एवं मढ़वा आर0ई0ओ0 रोड से हथिऔर होते हुए रामनगर पुलिया तक पथ निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने के लिए निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्री रजक के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्र दिनांक 05.12.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. विभागीय तकनीकी समीक्षोपरान्त श्री रजक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–2663–सह–पठित ज्ञापांक 2664 अनु0 दिनांक 30.08.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 6739 अनु0 दिनांक 31.10.2016 द्वारा श्री रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री रजक के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त असहमति संसूचित करते हुए असहमति के बिन्दुओं पर श्री रजक से विभागीय पत्रांक 1119 अनु0 दिनांक 18.05.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. श्री रजक के दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत अधिसूचना सं0–3414 दिनांक 05.12.2017 द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त सम्परिवर्तित किया गया।

6. विभागीय निदेश के आलोक में श्री रजक द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसकी तकनीकी समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी, समीक्षा में Carriage way width एवं Formation Width का कम कार्य के विरूद्ध अधिक का भुगतान संवेदक को करने, जॉच पदाधिकारी द्वारा किये गये गणना के अनुसार Carriage Way Width की कम चौड़ाई में किये गये हार्ड क्रस्ट एवं Bituminious Carpeting में संवेदक को रूपये 44,821/–का अधिक भुगतान किये जाने, Formation Width कम कर फ्लैंक में कम मिट्टी डालने, कम Formation Width रहने से पथ पर आवागमन भी प्रभावित रहने एवं पथ के 0 से 80 मीटर लम्बाई में कम चौड़ाई में पथ का निमार्ण कर संवेदक को अधिक भुगतान किये जाने का आरोप प्रमाणित पाते हुए अधीक्षण

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री रजक के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाया गया।

7. श्री रजक से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान को तकनीकी समीक्षा में अस्वीकार योग्य पाये जाने के कारण इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पेंशन से दस प्रतिशत की कटौति अगले पाँच वर्षो तक किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. उक्त अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–1291 अनु0 दिनांक 08.07.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1401 दिनांक 18.09.2020 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पुनेश्वर रजक तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढ़ाका सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के तहत पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती अगले 05 वर्षो तक अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/- 22/9/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ०प्र०–01–263/2010 1541 /पटना, दिनांक :– 22-9-2020

प्रतिलिपिः– ई कोषांग, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 एवं दो अतिरिक्त हार्ड कॉपी के साथ गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/- 22/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ०प्र०–01–263/2010 1541 /पटना, दिनांक :– 22-9-2020

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/झारखंड एवं कोषागार पदाधिकारी, देवघर(झारखंड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 22/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–01–263/2010 1541 /पटना, दिनांक :– 22-9-2020

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को उनके पत्रांक–1401 दिनांक 18.09.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ०प्र०–01–263/2010 1541 /पटना, दिनांक :– 22.9.2020

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढ़ाका/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मोतिहारी, प्रशाखा पदाधिकारी–5/6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री पुनेश्वर रजक तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढ़ाका सम्प्रति सेवानिवृत्त, स्थायी पता :–मोहल्ला–श्रीकांत मार्ग, बेला बगान, पोस्ट–डाबर ग्राम, थाना+जिला–देवघर(झारखंड), पिनकोड–814112 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांकः–3/अ०प्र०–01–263/2010 1541 /पटना, दिनांक :– 22.9.2020

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/9/2020.

अपर सचिव